बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014;

संख्या– FC/99/2018- 746

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक– 18/10/2019

विषय– श्री विद्या सागर यादव द्वारा सीवान जिलान्तर्गत ग्राम मोहिउदीनपुर के खाता संख्या–258, 268, 263, खेसरा संख्या–1668, 1669, 1670 में SH-47 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.01251 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि द्वारा सीवान जिलान्तर्गत SH-47 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.01251 हे. वन भूमि अपयोजन हेतु विद्या सागर यादव, पिता–शिव नारायण यादव, गोम–लखड़वा, पो.–एच.पी.ओ. सीवान, जिला–सीवान का प्रस्ताव वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के पत्रांक 51 दिनांक 04.01.2019 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के पत्रांक 1933, दिनांक 20.09.2019 द्वारा विषयक प्रस्ताव के त्रुटियों का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–10(ई.) दिनांक 16.02.1994 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है तथा भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रिटेल आउटलेट में जाने वाले पथ (Entry) तथा निकलने वाले पथ (Exit) की माप सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में इस विषय पर बनी सहमति जो प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार को इस कार्यालय के ज्ञापांक FC- 106 दिनांक 19.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया है, के अधीन है।

इस प्रकार प्रवेश एवं निकास के रास्ते के लिये कुल 0.01251 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

3. जिला पदाधिकारी, सीवान द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र की मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153143

4. अपयोजित होने वाली भूमि का GEO Referenced Map, shape File एवं Kml File की सॉफ्ट कॉपी अर्थात् सी०डी० प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 1226, दिनांक 06.09.2019 (छायाप्रति संलग्न) तथा वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के पत्रांक 1933, दिनांक 20.09.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रवेश पथ पर एक गोल्डमोहर (65 से.मी.) का सुखा वृक्षा अवस्थित है, तथा प्रवेश पथ के बगल में एक गोल्डमोहर (60 से.मी.) का वृक्ष विगत माह में आये ऑधी–पानी में गिरा हुआ पाया गया एवं निकास पथ पर कोई वृक्ष अवसिथत नहीं है। साथ ही प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा शपथ पत्र (प्रति संलग्न) उपलब्ध कराया गया है कि उनके द्वारा वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रपत्र–II में अंकित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल का वानस्पतिक घनत्व 0.3 है।

6. इस रिटेल आउटलेट क्षेत्र के आसपास कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य नहीं है।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रपत्र–II में अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्तावित स्थल पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

उक्त अपयोजन प्रस्ताव पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक की अनुशंसा प्राप्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

(i) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।

(ii) 0.01251 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 7,832/– (सात हजार आठ सौ बत्तीस रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(iii) हरितावरण को बनाये रखने के लिये 100 (एक सौ) वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(iv) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153143

(v) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश एवं निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही है। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय राँची से सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC/99/2018- 746 दिनांक– 18/10/2019
प्रतिलिपि : विद्या सागर यादव, पिता–शिव नारायण यादव, ग्राम–लखड़वा, पो.–एच.पी.ओ. सीवान, जिला–सीवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.10.19

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153143